5/12/13 2/8/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या–126/2013–14

रामाशीष यादव बनाम विष्णुदेव यादव वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद में रामअशीष यादव, पिता– राघो श्याम यादव, ग्राम– भच्छी, थाना + अंचल– बहेड़ी, जिला– दरभंगा आवेदक तथा (1) विष्णुदेव यादव पिता– रामेश्वर राय, (2) लक्ष्मी यादव (3) भरत यादव दोनों पिता– विष्णुदेव यादव ग्राम– भच्छी, थाना + अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा विपक्षी सदस्य हैं।

खाता	खेसरा	रकवा बी0–क0–धु0	चौहद्दी
दर्ज नहीं है	2850	00–01–01	उ0– नवल यादव का धर
			द0– राम विलास यादव
			पू0– अघनू यादव
			प0– विष्णुदेव यादव

आवेदक ने प्रस्तुत वाद दि0– 09.05.2013 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से शपथ पत्र एवं निर्धारित न्याय शुल्क मुद्रांक के साथ दाखिल किया जिसपर विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद दि0– 10.05.2013 को प्रतिग्रहित की गई एवं विपक्षीयों को निबंधित सूचना निर्गत की गई, विपक्षीयों ने कार्रवाई में उपस्थित होकर लिखित कथन दाखिल किया है, जिसपर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।

उभय पक्षों को सुनने से विदित होता है कि उभय पक्ष आपस में पट्टीदार हैं तथा प्रश्नगत खेसरा सं0– 2850 की भूमि का कुल रकवा 03 कट्ठा 04 धुर है जिसके खतियानी रैयत फौदाई राउत थे।

आवेदक के आवेदनानुसार खेसरा 2850 एवं 2854 का कुल रकवा 05 कट्ठा 05 धुर है, जबकि विपक्षी ने खेसरा सं0 2850 का रकवा 03 कट्ठा 04 धुर तथा 2854 का 14 धुर होना बताया है। विपक्षी ने खेसरा नं0 2850 में आवेदक को 01 कट्ठा 01 धुर हिस्सा को सही नहीं कहा है तथा उल्लेख किया है आवेदक का यह कहना कि "आने–जाने के लिए 12 फूट चौड़ा एवं एक जरीब रास्ता है" सही नहीं है।

विपक्षीयों को कहना है कि खेसरा सं0 2850 से 14 धुर एवं खेसरा सं0 2854 से 07 धुर आवेदक के हिस्से की भूमि है जिसपर उनका मकान वो सहन है। इस प्रकार आवेदक को 01 कट्ठा

24/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	01 धुर पर दखल कब्जा है ही तो विपक्षी ने आवेदक को वाद दायर करने का कोई औचित्य नहीं होना कहा है। आवेदक द्वारा वर्णित वंशावली से विदित होता है कि खतियानी रैयत फौदाई राउत को पाँच पुत्र– (1) मेही यादव (2) दरबारी यादव (3) सुबा यादव (4) सुनर यादव (5) बौआ यादव हुए। मेही यादव को एक पुत्र अघनु यादव हुए। आवेदक सुनर यादव के पुत्र हैं तथा विपक्षी बौआ यादव के परपोता हैं। विपक्षी ने आवेदक द्वारा वर्णित वंशावली को सही नहीं कहा है। विपक्षी ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत खेसरा सं0 2850 की 14 धुर एवं 2854 की 07 धुर भूमि आवेदक के हिस्से में है जिसपर उनका मकान वो सहन है तथा प्रश्नगत खेसरा का खतियानी रकवा 03 कट्ठा 04 धुर है जो वर्षों पूर्व आवेदक एवं विपक्षी के अलावा उभय पक्षों के फरिकैन के पूर्वज के बीच बँटवारा होकर सभी फरिकैन अपने अपने हिस्से पर काबिज दाखिल रहते चले आ रहे हैं जो इस प्रकार है :– (1) मल्हू यादव का हिस्सा 14 धुर (2) राम गुलाम यादव का हिस्सा 21 धुर (3) मो0 धनवन्ती का हिस्सा 14 धुर (4) राधे श्याम यादव का हिस्सा 14 धुर (5) फरीकैन को आने जाने का रास्ता 01 धुर इस प्रकार खेसरा सं0 2850 की भूमि कुल मिलाकर 03 कट्ठा 14 धुर है बताया गया है तथा कहा गया है कि प्रश्नगत खेसरा 05 कट्ठा 05 धुर आवेदक का कहना स्वतः गलत एवं झुठा है। विपक्षी ने यह भी उल्लेख किया है कि फौदाई राउत खतियानी रैयत के पाँच पुत्रों में सुबा यादव को पुत्र जल्लू वो महावीर यादव हुए जिसमें महावीर यादव नावल्द मर गये वो जल्लू यादव को एक पुत्री सरो देवी हुई एवं पत्नी धनवन्ती देवी थी। धनवन्ती देवी को खेसरा सं0 2850 में 14 धुर हिस्सा था जिसमें से धनवन्ती देवी एवं पुत्री सरो देवी ने 07 धुर जमीन दिनांक 27.06.1977 को विपक्षी विशुनदेव यादव को बयनामा कर दिया एवं बची हुंई 07 धुर फरिकैन रामउदार यादव को बयनामा कर दिया। केवाला दि0 27.06.1977 दाखिल है। इस प्रकार विपक्षी का दावा हिस्सा से प्रश्नगत खेसरा में 01 कट्ठा 01 धुर एवं खरीदगी दि0 27.06.1977 से 07 धुर कुल 01 कट्ठा 08 धुर पर अपना शांतिपूर्ण दखल कब्जा होने का दावा किया है। उपरोक्त विवेचनोपरान्त इस वाद में आवेदक का यह कहना गलत प्रतीत होता है कि प्रश्नगत खेसरा पर विपक्षी घर नहीं बनाने देते हैं तथा स्पष्ट होता है कि खेसरा नं0 2850 एवं 2854 का रकवा 05 कट्ठा 05 धुर नहीं बल्कि क्रमशः 03 कट्ठा 04 धुर एवं 14 धुर है	

24/09/13

आदेश की क्र० संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	जिसमें से 2850 में 14 धुर एवं 2854 में 07 धुर आवेदक का हिस्सा है जिसपर उनका मकान एवं सहन अवस्थित है। अतएव आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए कार्रवाई खारीज किया जाता हैं ''अभिलेख संचिकास्त करें।'' **लेखापित एव शुद्धित** 24/09/13 **भू० सु० उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 24/09/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	